

समाचार.प्रकाशनार्थरू.

स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 की तैयारियों में प्रत्येक अधिकारी एवं कर्मचारी जुट जायें.
कलेक्टर

स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 की समीक्षा बैठक में दिये निर्देश

कचरा संग्रहण वाहन की 6 ट्रीप लगाने वाले ड्रायवर व हैल्परों को किया सम्मानित रतलाम 27 मार्च । स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 के तहत नियुक्त अधिकारी एवं कर्मचारियों द्वारा किये जा रहे कार्यों की समीक्षा बैठक कलेक्टर एवं निगम प्रशासक श्री कुमार पुरूशोत्तम ने निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया के साथ बैठक लेकर निर्देशित किया कि भारत सरकार द्वारा नियुक्त टीम कभी भी सर्वेक्षण के लिये आ सकती है इस हेतु नगर निगम का प्रत्येक अधिकारी एवं कर्मचारी स्वच्छता के कार्य में सहयोग देकर रतलाम नगर को नम्बर 1 बनायें।

आयोजित बैठक में कलेक्टर एवं निगम प्रशासक श्री कुमार पुरूशोत्तम व निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया ने कचरा संग्रहण वाहन से कचरा संग्रहण हेतु प्रतिदिन 6 ट्रीप लगाने वाले ड्रायवर वनपाल.रघुराम सिंहए सुनील.मांगीलालए हैल्पर विककी.दिनेष व तुफान.बाबुलाल को पुशमाला पहनाकर सम्मान किया।

कलेक्टर एवं निगम प्रशासक श्री कुमार पुरूशोत्तम ने स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 के तहत की गई तैयारियों की जानकारी ली इस अवसर पर सर्वेक्षण की सिटी प्रोफाईल से अवगत कराया गया।

बैठक में उन्होंने निर्देशित किया कि व्यावसायिक क्षेत्रों व शहर के मुख्य मार्गों की रात्री में ही सफाई करा दी जाये ताकि नागरिकों प्रातः शहर स्वच्छ मिले साथ ही उन्होंने निर्देशित किया कि शहर के समस्त उद्यानों व सार्वजनिक व सुलभ षौचालयों में स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 बोर्ड लगवाये ताकि नागरिकों सर्वेक्षण के संबंध में जानकारी प्राप्त हो सके।

समीक्षा बैठक में कलेक्टर एवं निगम प्रशासक श्री पुरुषोत्तम ने निर्देशित किया कि घर-घर से कचरा संग्रहण का कार्य 100 प्रतिशत किया जाये ताकि शहर में कहीं कचरा ना दिखाई दे साथ ही नागरिकों को कचरा पृथक्कीकरण हेतु प्रोत्साहित करें साथ ही उन्होंने निर्देशित किया कि शहर के प्रत्येक दुकानदार ए ठेले व फुटपाथ पर फुटकर व्यापार करने वाले व्यापारियों को कचरा पात्र रखना अनिवार्य किया जाये। उन्होंने बैठक में निर्देशित किया कि शहर के जल स्रोत विशेषकर अमृत सागर तालाब व आसपास के क्षेत्रों में सफाई पर विशेष ध्यान दिया जाये व खुले व जल स्रोतों में कचरा डालने वाले नागरिकों पर स्पॉट फाईन की कार्यवाही की जाये। आयोजित बैठक में कार्यपालन यंत्री सर्वश्री सुरेशचन्द्र व्यास ए मोहम्मद हनीफ़ शेख ए जीकेए जायसवाल ए प्रभारी सहायक यंत्री श्री एमकेए जैन ए श्री सत्यप्रकाश आचार्य ए सहायक स्वास्थ्य अधिकारी श्री एपीए सिंह ए उपयंत्री सर्वश्री राजेन्द्र मिश्रा ए सुहास पंडित ए बीएलए चौधरी ए राजेश पाटीदार ए ब्रजेश कुषवाह ए मनीश तिवारी ए सुश्री दीक्षा निजामपुरकर ए झोन प्रभारी ए वार्ड पर्यवेक्षक आदि उपस्थित थे।

वाँल पेटिंग प्रतियोगिता आज

रतलाम 27 मार्च । स्वच्छ रतलाम.सुंदर रतलाम की कल्पना को साकार करने के लिए निरन्तर प्रयासरत नगर पालिक निगम द्वारा स्वच्छ सर्वेक्षण.2022 के अन्तर्गत 28 मार्च सोमवार को वाँल पेटिंग प्रतियोगिता आयोजित की जा रही है।

कलेक्टर व नगर निगम प्रशासक श्री कुमार पुरुषोत्तम के निर्देश और आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया के निर्देशन में होने वाली यह प्रतियोगिता 28 मार्च को 3 बजे से कला एवं विज्ञान महाविद्यालय की दिवार पर आयोजित की जाएगी।

प्रतियोगिता की थीम स्वच्छ रतलाम.सुंदर रतलाम है। इस विषय पर चित्रकारी के माध्यम से शहर के चित्रकार आमजन को स्वच्छता का संदेश देकर स्वच्छता की दौड़ में रतलाम को नम्बर.1 बनाने का आव्हान चित्रों के माध्यम से करेगे। विजेता चार प्रतियोगियों को नकद राशि व प्रमाण पत्र भेंट कर सम्मानित किया जाएगा।

इच्छुक प्रतियोगी 28 मार्च दोपहर 1 बजे तक अपना पंजीयन व्हाटशाप नम्बर 9229575956 के माध्यम से करा सकते है।

दुकान किराये की राशि जमा नहीं करने पर 2 दुकानों से सील रतलाम 27 मार्च । नगर निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया द्वारा दिये गये निर्देश के तहत निगम स्वामित्व के मार्केटो के ऐसे दुकानदार जिन पर 2000 से अधिक की दुकान किराये की राशि बकाया है राशि जमा नहीं कराने पर दुकान सील करने की कार्यवाही राजस्व अमले द्वारा की जा रही है जिसके तहत बाजना बस स्टैण्ड में 2 दुकानों पर कुल राशि 1.67 लाख बकाया होने पर सील किया गया।

बकाया व अवैध नल संयोजन विच्छेदन की मुहिम निरंतर जारी

15 अवैध नल संयोजन विच्छेद

25 अवैध नल संयोजनों को वैध किया गया

रतलाम 27 मार्च । नगर निगम द्वारा अवैध व बकाया राशि के नल संयोजन विच्छेदन की कार्यवाही के तहत निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया के निर्देशानुसार नगर के विभिन्न क्षेत्रों से 15 अवैध नल संयोजनों को जलप्रदाय विभाग टीम द्वारा विच्छेद किया गया साथ ही 25 अवैध नल संयोजनों को वैध किया गया।

जलप्रदाय विभाग अमले द्वारा 27 मार्च रविवार को अभियान के तहत सुदामा परिसर से 8 अवैध नल संयोजन को विच्छेद किया गया व 9 अवैध नल संयोजनों को वैध किया गया। ओसवाल नगर में 7 अवैध नल संयोजन को विच्छेद किया गया व 6 अवैध नल संयोजनों को वैध किया गया। शिव नगर में 5 मराठो का वास में 2 लौहार रोड क्षेत्र में 3 अवैध नल संयोजनों को वैध किया गया। इस तरह कुल 15 नल संयोजनों को विच्छेद किया गया व 25 अवैध नल संयोजनों को वैध किया गया।

नगर निगम द्वारा नल संयोजनो के बकायादारों से अपील की जाती है कि वे अपनी बकाया राशि जमा कराकर नल संयोजन विच्छेदन की कार्यवाही से बचें। अवैध नल संयोजनकर्ता अपने नल संयोजन को नियमानुसार वैध करावें।

बिना अनुमति व अनुमति के विपरित 10 के स्थान पर 30 प्रतिषत अवैध निर्माण का होगा प्रषमन ,कम्पाउडिंगद्ध

30 जून तक प्रषमन शुल्क में दी जा रही 20 प्रतिषत छूट

रतलाम 27 मार्च । नगरीय क्षेत्र रतलाम में बिना अनुमति तथा अनुमति के विपरित भवनों के प्रषमन ,कम्पाउडिंगद्ध के तहत 10 प्रतिषत के स्थान पर 30 प्रतिषत सीमा तक हुए अवैध निर्माण का प्रषमन ,कम्पाउडिंगद्ध किया जा सकेगा। इस हेतु लगने वाले कम्पाउडिंग शुल्क में 30 जून तक 20 प्रतिषत की छूट प्रदान की जा रही है।

निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया ने बताया कि मध्यप्रदेश शासन द्वारा नगरीय क्षेत्र में बिना अनुमति तथा अनुमति के विपरित भवनों के प्रषमन ,कम्पाउडिंगद्ध हेतु नियमों में संशोधन कर अब 10 प्रतिषत के स्थान पर 30 प्रतिषत की सीमा तक हुए अवैध निर्माण को नियमित करने का प्रावधान किया गया है। इस हेतु लगने वाले कम्पाउडिंग शुल्क में 30 जून तक 20 प्रतिषत की छूट प्रदान की जा रही है।

रतलाम नगरीय क्षेत्र में उपरोक्त प्रकार के सभी भवनों के लिये अपने अवैध निर्माण को वैध कराने का यह सुनहरा अवसर है। नगर निगम द्वारा इस हेतु प्रमुख व्यावसायिक भवनों को सूचना पत्र भी दिये गये हैं।

कलेक्टर एवं निगम प्रशासक श्री कुमार पुरुशोत्तम व निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया उपरोक्त प्रकार के सभी भवन स्वामियों से अपील की है कि बिना अनुमति या अनुमति के विपरित बने अपने भवनों का प्रषमन ,कम्पाउडिंगद्ध 30 जून के पूर्व करवाकर अवैध निर्माण के विरुद्ध होने वाली किसी भी संभावित कार्यवाही बचें।

27 मार्च को 126 मीट्रिक टन से अधिक कचरा जुलवानिया पंहुचा

कचरा संग्रहण वाहनों ने कचरा संग्रहण हेतु लगाई 209 ट्रीप

रतलाम 27 मार्च । निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया के निर्देशानुसार नगर निगम के कचरा संग्रहण वाहनों के माध्यम से घर.घर से पृथक.पृथक एकत्रित किया जा रहे गीले.सूखे कचरे व सड़को व नाले.नालियों की सफाई के दौरान निकलने वाले कचरे का प्रतिदिन वजन किया जाकर जुलवानिया टे^a चिंग ग्राउण्ड पर पंहुचाया जा रहा है जिसके तहत 27 मार्च रविवार को 126 मीट्रिक टन से अधिक कचरा जुलवानिया टे^a चिंग ग्राउण्ड पर पंहुचाया गया।

27 मार्च रविवार को डम्पर से 26335 किलोए टे^a कटर से 18760 किलोए मैजिक सूखा कचरा 52865 किलोए मैजिक गीला कचरा 28700 किलोए सेनेटरी वेस्ट 8^{ण7} किलो व घरेलू हानिकारक कचरा 3 किलो इस तरह कुल 12671^{ण7} किलो कचरा जुलवानिया टे^a चिंग ग्राउण्ड पंहुचाया गया।

नगर निगम के विभिन्न करों से 12^{ण57} लाख राजस्व प्राप्त हुआ

रतलाम 27 मार्च । संपत्तिकरए जलकरए लायसेंसए राजस्वए विकास शाखाए बिल्डिंग परमिषन के तहत नागरिकों द्वारा जमा कराये गये करो के तहत 27 मार्च रविवार को कुल राशि रूपये 12^{ए57ए7770}६ का राजस्व प्राप्त हुआ।

नगर निगम के विभिन्न करों के तहत 27 मार्च रविवार को संपत्तिकर कार्यालय से 453036^ए वसूली दल 548000 कुल 1001036^ए जलकर कार्यालय से 5190^ए वसूली दल 150700 कुल 155890^ए स्पॉट फाईन 7000^ए दुकान गुमटी किराया वसूली दल 93844 इस तरह कुल राशि रूपये 12^{ए57ए770}६ का राजस्व निगम को प्राप्त हुआ।

18 सफाई मित्रों का 1 दिवस एक दिवस का वेतन काटा

दोपहर में अनुपस्थित रहने वाले कर्मचारियों का कटेगा पुरे दिन का वेतन

बिना सूचना के 3 दिवस लगातार अनुपस्थित रहने कर्मचारी होंगे सेवा से बर्खास्त

रतलाम 27 मार्च । कलेक्टर एवं निगम प्रशासक श्री कुमार पुरूशोत्तम के निर्देशानुसार वार्डों में स्वच्छता पर्यवेक्षण हेतु नियुक्त पर्यवक्षकों द्वारा वार्डों में प्रातः 6 व दोपहर 2 बजे सफाई मित्रों की उपस्थिति को चेक किया गया जिसके

तहत प्रातः 9 व दोपहर की शिफ्ट में 7 सफाई मित्र बिना सूचना के अनुपस्थित पाये जाने पर निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया के निर्देशानुसार एक व आधे दिवस का वेतन काटा जाकर सेवा से बर्खास्तधनिलबंन का कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया गया। ऐसे सफाई मित्र जो कि प्रातः की शिफ्ट में उपस्थित रहते हैं व दोपहर की शिफ्ट में बिना सूचना के अनुपस्थित रहने पर संबंधित का पुरे दिवस का वेतन काटा जायेगा।

27 मार्च रविवार को वार्डों में सफाई मित्रों की उपस्थिति के दौरान प्रातः झोन क्रमांक 1 में अजय.विनोदए बादल.दिलीपए शांतिबाई पति सुरेशए झोन क्रमांक 3 में सोनूबाई पति जीवनए मुकेश.दिनेशए झोन क्रमांक 4 गीताबाई पति रामपालए उशाबाई पति मुकेश व दोपहर की शिफ्ट में झोन क्रमांक 1 में सचिन.रामसेवकए विजय.फुलचन्दए उमेश.प्रहलादए पुशपाबाई पति प्रहलादए बरखाबाई पति सुरेशए झोन क्रमांक 3 में प्रमोद.जगदीशए दीपक.पीरूए अनिताबाई पति राजकपूरए रानीबाई पति राजेन्दए शकुन्तलाबाई पति शंकरए ज्योति पति सुनिल इस तरह 18 कर्मचारी बिना सूचना के अपने कर्तव्य स्थल से अनुपस्थित पाये जाने पर एक दिवस का वेतन काटा जाकर सेवा से बर्खास्तधनिलबंन का कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया गया।

ऐसे सफाई मित्र जो कि बिना सूचना के लगातार तीन दिवस तक अपने कर्तव्य स्थल से अनुपस्थित रहते है उन्हे सेवा से बर्खास्तधनिलबंन की कार्यवाही की जायेगी।

गदंगी करने व अमानक पॉलीथीन उपयोग करने पर 2 व्यक्तियों पर जुर्माना रतलाम 27 मार्च । कलेक्टर एवं प्रशासक नगर पालिक निगम रतलाम श्री कुमार पुरूशोत्तम के निर्देशानुसार नगर में ऐसे दुकानदार व नागरिक जो कि खुले में कचरा डालकर शहर को गंदा करते हैंए मलबा डालकर व सामान से अतिक्रमण करते हैंए अमानक पॉलीथीन का उपयोग एवं विक्रय करते हैंए खुले में यूरिन करते

हैं उन पर लगाम लगाने हेतु संबंधितों पर स्पॉट फाईन की कार्यवाही की जा रही है जिसके तहत 27 मार्च रविवार को 2 व्यक्तियों पर जुर्माना किया गया।

निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया के निर्देशानुसार इंडियन कैफे दो बत्ती पर 5000 व अंकित षर्मा रामगढ़ पर 3000 रुपये का स्पॉट फाईन कर भविष्य में गंदगी व अमानक पॉलीथीन का उपयोग ना करने की समझाईष दी।

स्पॉट फाईन की कार्यवाही सर्वश्री कुलदीप भट्टए विजय मेहनाए मनीश झांझोटए अंकित पुरोहितए राजकुमार भाटी आदि के द्वारा की गई।

100 माईक्रान से कम मोटाई की पॉलीथीन व सिंगल यूज प्लास्टिक प्रतिबंधित

रतलाम 27 मार्च । रतलाम नगर को स्वच्छ व सुन्दर बनाये जाने हेतु नगरीय क्षेत्र रतलाम में 100 माईक्रॉन से कम मोटाई वाली पॉलीथीन व सिंगल यूज प्लास्टिक ,प्लास्टिक स्टीक सहित ईयर बर्डए बैलून में उपयोग होने वाले प्लास्टिक स्टिकए प्लास्टिक झण्डेए कैंडी स्टिकए आईस्क्रीम स्टीकए सजावट में उपयोग होने वाले थर्मोकोलए प्लास्टिक प्लेट्सए कपए ग्लासए फोर्कए चम्मचए चाकूए स्ट्रए टेए स्वीट बाक्सए निमंत्रण पत्रए सिगरेट पैकेट को कचहर करने वाली पैकिंग फिल्मए प्लास्टिक स्टिर्स व 100 माईक्रोन से कम मोटाई वाले प्लास्टिक व पीबीसी के बैनरद्ध के उपयोग को मध्यप्रदेश प्रदूशन नियंत्रण बोर्ड व कलेक्टर एवं निगम प्रशासक श्री कुमार पुरुशोत्तम के निर्देशानुसार पूर्णतः प्रतिबंधित किया गया है।

रतलाम नगर के समस्त प्लास्टिक ,पॉलीथीनद्ध निर्माताए भण्डारकर्ताए विक्रेताए दुकानदार एवं उपयोगकर्ता 100 माईक्रॉन से कम मोटाई की पॉलीथीन व सिंगल यूज प्लास्टिक का ना तो उत्पादन करें एव ंना ही भण्डारणए विक्रय तथा उपयोग करें। उपरोक्त का उल्लघंन किये जाने पर संबंधित के विरुद्ध नियमानुसार कड़ी कार्यवाही की जावेगी।

नगर के नागरिकों से अनुरोध है कि प्लास्टिक की थैलियों का उपयोग ना करें एवं इनके स्थान पर कपड़े एवं कागज से निर्मित थैलियों का उपयोग कर नगर को

स्वच्छ सुन्दर बनाने तथा पर्यावरण को सुरक्षित रखने में अपना सहयोग प्रदान करें।

नगर निगम उठायेगा निर्माण एवं विध्वंस अपशिष्ट सामग्री सिविक सेंटर में बनाया निर्माण एवं विध्वंस सामग्री केन्द्र नागरिक मो० नं० 7471144078 पर करें संपर्क

रतलाम 27 मार्च । निर्माण एवं विध्वंस अपशिष्ट सामग्री के नियमानुसार निष्पादन हेतु नगर निगम द्वारा योजना क्रमांक 71 राजीव गांधी सिविक सेंटर में निर्माण एवं विध्वंस सामग्री बनाया गया है। नागरिक मोबाईल नम्बर 7471144078 पर कॉल करके सामग्री को उठवा सकते हैं।

निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया ने बताया कि स्वच्छ भारत मिशन 2०0 के अन्तर्गत स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 की तैयारियों के अन्तर्गत नगर निगम द्वारा योजना क्रमांक 71 राजीव गांधी सिविक सेंटर में निर्माण एवं विध्वंस सामग्री बनाया गया है। भवन निर्माण कर्ता भवन निर्माण अपशिष्ट सामग्री कांक्रीट, ईंट, मुरम, मलबा, स्टील, लकड़ी, प्लास्टिक, मोर्टर, साइल आदि को मोबाईल नम्बर 7471144078 पर कॉल करके सामग्री को उठवा सकते हैं।

श्वान पालकों को अपने श्वान का रजिस्ट्रेशन अनिवार्य रूप से करायें रजिस्ट्रेशन नहीं कराने पर संबंधित के विरुद्ध होगी दण्डात्मक कार्यवाही रतलाम 27 मार्च । नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 की धारा 355 व 356 के तहत नगरीय क्षेत्र रतलाम में निवासरत् ऐसे नागरिक जो कि अपने घरों में श्वान पालते हैं वे अपने श्वान का रजिस्ट्रेशन नगर निगम स्वास्थ्य विभाग की लायसेंस शाख में अनिवार्य रूप से करायें अन्यथा संबंधित के विरुद्ध दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी।

निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया ने बताया कि नगरीय क्षेत्र अन्तर्गत प्वान पालकों द्वारा अपने प्वान को गले में बिना पट्टा डाले अथवा अन्य चिन्हों के बिना आवारा प्वान की भांति छोड़ दिया जाता है तथा आम नागरिकों में भय का वातावरण निर्मित होता है ऐसे प्वानों एवं प्वान मालिकों के लिये नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 की धारा 355 व 356 के तहत अनिवार्य किया गया है। ऐसे प्वान पालक जिन्होंने अपने प्वान का रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है उन्हें नगर निगम द्वारा सूचना पत्र जारी किये जा रहे हैं रजिस्ट्रेशन नहीं कराने वाले प्वान पालकों के विरुद्ध कठोर दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी।

प्वान पालक को नगर पालिक निगम के स्वास्थ्य विभाग अन्तर्गत लायसेंस शाखा में प्रति प्वान पंजीयन शुल्क रूपये 1000₹. एवं लायसेंस शुल्क रूपये 500₹. प्रति प्वान तथा लायसेंस नवीनीकरण हेतु प्रतिवर्ष 100₹. रूपये जमा कराना होगा। प्वान पालकों को अधिकतम 2 प्वान पालने की अनुमति प्रदान की जावेगी।

नगर निगम द्वारा प्वान पालकों से अपील की जाती है कि वे अपने प्वान का रजिस्ट्रेशन नगर निगम के स्वास्थ्य विभाग अंतर्गत लायसेंस शाखा में अनिवार्य रूप से करावें तथा अपने प्वान के गले में पट्टा डालकर रखें व अन्य पहचान चिन्ह लगावें।

3369 हितग्राही पीएम स्वनिधी के ब्याज मुक्त ऋण से लाभान्वित हुए स्वरोजगार ऋण से 120 हितग्राही हुए लाभान्वित पथ विक्रेता 10 व 20 हजार का ब्याज मुक्त ऋण प्राप्त करने हेतु आवेदन प्रस्तुत करें

रतलाम 27 मार्च । नगरीय क्षेत्र रतलाम के ऐसे पंजीकृत एवं पात्र पथ विक्रेता जिन्हे प्रथम कार्यशील पूंजी हेतु ब्याज मुक्त ऋण प्राप्त नहीं हुआ है तथा जिन्होंने प्रथम कार्यशील पूंजी का ऋण जमा करा दिया है उन्हें संकल्प से सिद्धी विषेश अभियान

के तहत 10 व 20 हजार का ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध कराने हेतु नगर निगम द्वारा निगम के झोन कार्यालयों पर ऑन लाईन आवेदन भरे जा रहे हैं।

निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया ने बताया कि प्रथम कार्यशील पूंजी हेतु 3149 हितग्राहियों को राशि रूपये 10ए000६ तथा द्वितीय कार्यशील पूंजी हेतु 220 हितग्राहियों को राशि रूपये 20ए000६ ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध कराया गया है। एनयूएलएम स्वरोजगार ऋण योजना में 115 हितग्राहियों व एनयूएलएम स्वरोजगार समूह ऋण योजना में 5 समूह को ऋण उपलब्ध कराया गया है।

पथ विक्रेताओं को ब्याज मुक्त ऋण के लिये ऑन लाईन आवेदन प्रस्तुत करने हेतु आवश्यक दस्तावेज के रूप में बैंक पास बुकए आधार कार्डए पथ विक्रेता पंजीयन कार्ड व आधार लिंक से मोबाईल नम्बर साथ लाना होगा।

अनुमति के बिना मुख्य सड़कों के किनारे निर्माण प्रारंभ पाये जाने पर नगर निगम करेगा तोड़ने की कार्यवाही

15 हजार रूपये प्रति घंटे के मान से तोड़ने की राशि होगी वसूल

रतलाम 27 मार्च । षहर की मुख्य सड़के सैलाना रोडए सागोद रोडए महु रोडए स्टेशन रोड सहित अन्य सड़को के किनारे नगर निगम की बिना अनुमति के निर्माण प्रारंभ पाये जाने पर उन्हे तोड़ने की कार्यवाही निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया के निर्देशानुसार गठित दलो के द्वारा प्रारंभ की जा रही है साथ ही संबंधितों से 15 हजार रूपये प्रति घन्टे के मान से तोड़ने की राशि वसूल की जायेगी।

निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया नगर निगम के गठित दलो को निर्देशित किया है षहर की मुख्य सड़कों के किनारे नगर निगम की बिना अनुमति निर्माण प्रारंभ पाये जाने पर तोड़ने की कार्यवाही प्रतिदिन की जाये व संबंधितों से 15 हजार रूपये प्रति घन्टे के मान से तोड़ने की राशि वसूल की जाये।

नगर निगम द्वारा बिना अनुमति के निर्माण तोड़ने की कार्यवाही की जा रही है नागरिकों से अपील है कि वे अनुमति के बिना निर्माण कार्य ना करें।

नागरिक व दुकानदार कोविड अनुकूल व्यवहार का पालन करें

रतलाम 27 मार्च । कलेक्टर एवं प्रशासक नगर पालिक निगम रतलाम श्री कुमार पुरूशोत्तम के निर्देशानुसार रतलाम जिले में कोरोना संक्रमण को नियंत्रण करने हेतु कोविड अनुकूल व्यवहार अनिवार्य किया गया है।

निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया ने नागरिकों व दुकानदारों व व्यावसायिक प्रतिष्ठान मालिकों से अपील की है कि सही तरीके से मास्क लगायें एवं सोशल डिस्टेंसिंग का पालन अनिवार्य रूप से करें। दूकानों एवं सार्वजनिक स्थानों में 6 नागरिकों से अधिक लोग एकत्रित नहीं हों। नियमों का पालन अनिवार्य रूप से कर कानूनी कार्यवाही से बचें।

गीला व सूखा कचरा पृथक-पृथक नहीं लेने पर कर्मचारियों के विरुद्ध होगी कार्यवाही

रतलाम 27 मार्च । निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया ने कचरा संग्रहण वाहन के ड्राइवर व हैल्पर वार्ड प्रभारी व झोन प्रभारियों को निर्देशित किया है कि वे नगर के प्रत्येक घर व दुकान आदि से प्रतिदिन गीला व सूखा कचरा पृथक-पृथक कचरा संग्रहण करना सुनिश्चित करें अन्यथा ड्राइवर व हैल्पर वार्ड प्रभारी व संबंधित झोन प्रभारी पद से हटाने व बर्खास्त किये जाने की कार्यवाही की जायेगी।

निगम आयुक्त श्री झारिया ने निर्देशित किया यदि किसी भी वार्ड में मिक्स कचरा लेते हुए या कचरा संग्रहण वाहन में मिक्स कचरा डालते हुए पाये जाने पर संबंधित कर्मचारी को पद से हटाने व सेवा से बर्खास्त किये जाने की कार्यवाही की जायेगी। इसके अलावा उन्होंने निर्देशित किया कि प्रत्येक वार्ड के प्रत्येक घर व दुकान व गुमटी आदि से प्रतिदिन पृथक-पृथक कचरा लिया जाये।

प्रत्येक वार्ड के प्रत्येक घर व दुकान व गुमटी आदि से प्रतिदिन पृथक-पृथक कचरा लिये जाने हेतु निगम आयुक्त श्री झारिया ने निर्देशित किया कि दोनो

पालियों में वार्ड में कचरा संग्रहण वाहन जायेंगे तथा जब तक पुरे वार्ड से 100 प्रतिषत कचरा संग्रहित नहीं कर लिया जाता तब तक वाहन निगम के वर्कषॉप में जमा ना करायें। निगम आयुक्त श्री झारिया ने वार्ड प्रभारी व झोन प्रभारी को निर्देशित किया है कि वे प्रतिदिन प्रमाणित करेंगे कि उनके वार्ड से 100 प्रतिषत कचरा उठ चुका है।

वार्ड में गंदगी पाई गई तो झोन प्रभारी व वार्ड दरोगा व सफाई संरक्षक के विरुद्ध होगी कार्यवाही

रतलाम 27 मार्च । स्वच्छ सर्वेक्षण.2021 में रतलाम नगर को स्वच्छता के क्षेत्र में नम्बर.1 बनाने हेतु नगर निगम दृढ़ संकल्पित है जिसके तहत वार्डों की सड़कए गलीए सार्वजनिक स्थलए नाले.नालियों आदि समुचित सफाई हेतु झोन प्रभारी व वार्ड दरोगा व वार्ड के सफाई संरक्षक पाबंद है। वार्डों में गंदगीए कचरे के ढेरए नाले. नालियों में कचरा पाये जाने पर संबंधितों को हटाने की कार्यवाही की जायेगी।

वार्डों की समुचित साफ.सफाई का दायित्व झोन प्रभारी व वार्ड दरोगा व सफाई संरक्षकों का दायित्व है वे अपने कर्तव्य का निर्वहन पुरी निश्ठा एवं ईमानदारी करें यदि वार्डों में साफ.सफाई नहीं पाई जाती है तो संबंधितों को हटाने की कार्यवाही की जायेगी।

समाचारः जसं विहेमन्तः 27 03 2022 नपा निगम रतलाम